न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री, आर०ए०एस०

अपील संख्या 56/2017

1–माणक चन्द पुत्र स्व0 बालचंद जाति सरावगी लुहाड़िया निवासी अजमेर हाल मुकाम सी–2/54 एसडीए,होज खास दिल्ली, 110016 जरिये मुख्त्यार खास चुनाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी नावां जिला नागौर राज.

.....अपीलान्ट

बनाम

1– राज. सरकार, तहसीलदार नावां

2– तारा चौधरी पत्नि महेन्द्रकुमार उर्फ माणकचन्द

3– प्रमोद चौधरी पुत्र महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द

4– प्रमिला,

5–रेखा,

7–विभा पुत्रियॉ महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द जाति सरावगी निवासी नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री मोहम्मद हनिफ,अल्ताफ हुसैन अधिवक्तागण, अपीलान्ट।

2–श्री विकास ठोलिया,हाकम अली,विक्रम कुड़ी अप्रार्थी सं0 3 की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.एक्ट के तहत तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृति नामान्तकरण प्रविष्ट संख्या 1758

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 18.07.2017 नामान्तकरण पंजिका नावां तहसील नावां जिला नागौर के विरूद्ध

निर्णय

दिनांक— 09.04.2018

1. यह है कि अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम नावां में खसरा नम्बर 9 रकबा 0.09हैक्टर गैर मुमकिन कुआं, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 12 रकबा 5.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 30 रकबा 3.90 हैक्टर कुल 5 रकबा 9.77 हैक्टर है, इस मामले अपीलार्थी माणक चन्द की वल्दियत बालचंद है, बेचान व तहसीलदार नावां के आदेश कमांक 970 दिनांक 6.05.1972 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 472 दिनांक 04.10.72 में भी अपीलार्थी की वल्दियत लालचंद (माणकचन्द पुत्र लालचंद सरावगी साकिन अजमेर) लेकिन नवीन भू प्रबन्धक कार्यवाही में लिपिकिय त्रुटिवशं अपीलार्थी की वल्दियत सुगनचंद अंकन कर दिया , इस सम्बन्ध में नियमित राजस्व वाद माणकचन्द बनाम राजस्थान राज्य उपखण्ड अधिकारी नावां के समक्ष धारा 88 काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन लम्बित है, इस प्रकरण में माननीय उपखण्ड अधिकारी नावा द्वारा धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के अधीन प्रस्तुत आवेदन संख्या 71/2017 बअनुवान माणकचंद बनाम राजस्थान राज्य मे दिनांक 31.07.2017 तक बेचान हस्तान्तरण एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश किया हुआ था एवं अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार नावा के समक्ष दिनांक 7.7. 2017 को प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत कर दी गयी थी, इसके बावजूद मातहत तहसीलदार नावां द्वारा नियमित वाद लम्बित होने के सम्बन्ध में जानकारी व ज्ञान होने के बावजुद विवादित नामान्तकरण कार्यवाही में अपीलार्थी को सुने वगैर ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर आक्षेपित नामान्तरण किया गया है जबकि आक्षेपित नामान्तकरण पंजिका के कालम नं0 16 में "**मौके पर कब्जा नही है**"का स्पष्ट उल्लेख सन 2012 में किया गया है जिस पर दिनांक 28.08.2012को तहसीलदार द्वारा नोट "**संलग्न मृत्यू प्रमाणपत्र एवं प्रमोद कुमार के शपथपत्र से जाहिर होता है कि मृतक का परिवार उदयपुर निवास करता है। सक्षम अधिकारी/न्यायालय का उतराधिकार प्रमाण पत्र आई.एल.आर. द्वारा जाचं में नही होना अंकित किया है, प्रार्थी को सक्षम**

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

न्यायालय/अधिकारी का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने पर तदनुसार प्रस्तुत हो" एस.डी तहसीलदार नावां, अंकित किया गया है एवं दिनांक 21.09.2012 द्वारा इस सन्दर्भ में अंकित टिप्पणी "रिपोर्ट पटवारी हल्का कब्जा नही होना बताया है। मुताबिक मृत्यु एवं वारिस से जांच की गई शपथकर्ता द्वारा ही सजरा प्रमाणित पेश किया है सक्षम अकिारी का वारिस प्रमाण पत्र नहीं अतः काबिल खारिज है।"एस डी आईएल आर नावां, इसके बावजुद दिनांक 17.07.2017 को तहसीलदार नावा द्वारा 'बिन्दू संख्या 1 भू.अ.नि. पुनः जांच कर रिपोट करे''बिन्दू नं. 2 पटवारी हल्का दोनों व्यक्ति एक होने की रिपोर्ट करे'' एस डी तहसीलदार नावा, इसके बाद केवल भू.अ.नि. नावा की रिपोर्ट "श्रीमान जी निवेदन है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश दिनांक 07.07.2017 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश को माननीय न्यायालय आर.ए.ए.द्वारा दिनांक 12.07.2017 को अपास्त कर दिया गया है। "प्रार्थी द्वारा पस्तुत सजरा प्रमाणपत्र शपथपत्र एवं माननीय सांसद उदयपुर के प्रमाणितकरण पत्र के आधार पर माणक चंद पुत्र महेन्द्र कुमार के स्थान पर वारिसानों के नाम दर्ज किया जाना सही है। जांच किया अंकन सही है।" एसडी भू.अ.नि.नावां की मनंगढत फर्जी एव विधि विरूद्ध कार्यवाही के आधार पर निराधार एवं नाजायज दस्तावेजो के आधार पर स्वीकृत आक्षेपित नामान्तकरण आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

2. **अपील के आधार**

A . यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अधीन अपील पारित करने में कानुनी एवं वाकियाती भूल की है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

B. यह है कि अपीलार्थी के रेकर्डेड काबिज खातेदार कास्तकार है एवं आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृत विधि विरूद्ध होने के कारण आरोपित नामान्करण खारिज किये जाने योग्य है।

C. यह है कि नियमित वाद लम्बन के दौरान अधिनस्थ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत जाकर आदेश अधीन अपीलपारीत करने में घोर त्रुटि कारित की है अतः योग्य अधीनस्थ रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैतारण (पाली)

D. यह है कि अपीलार्थी ग्राम नावा के गत खसरा नम्बर 4 की नयी खेवट खतोनी संख्या की 423 वर्तमान खसरा नंम्बर 9,11,12,13,30 की कृषि भूमि रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये खरीददार काश्तकार है, नकल विक्रय विलेख, जमांबन्दी व खसरान मिलान क्षैत्रफल संलग्न है अपीलार्थी की वल्दियत लालचंद (माणक चन्द पुत्र लालचंद सरावगी साकिन अजमेर)लेकिन नवीन भू प्रबन्धक कार्यवाही में राजस्व अधिकार अभिलेख में त्रुटिवश अपीलार्थी की वल्दियत सुगनचंद अंकन कर दिया गया, इस सम्बन्ध में नियमित राजस्व वाद /2017 माणकचंद बनाम राजस्थान राज्य उपखण्ड अधिकारी नावां के समक्ष धारा 88 कास्तकारी अधिनियम संपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन प्रस्तुत आवेदन संख्या 71/2017 बअनुवान माणकचंद बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 31.07.2017 तक बैचान हस्तान्तरण एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश किया हुआ था एवं अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार नावा के समक्ष दिनांक 07.07.2017 को प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत कर दी गयी थी इसके बावजुद मातहत तहसीदार नावा द्वारा नियमित वाद लम्बित होने के तथ्य के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी व ज्ञान होने के बावजुद विवादित नामान्तकरण स्वीकृत गया है आक्षेपित नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है।

E. यह है कि उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वास्तविक खातेदारी अपीलार्थी रेकर्डेड काबिज खातेदार माणकचंद है जो अपीलार्थी है और आज दिन जीवित है ऐसी परिस्थितियो में तहसीलदार नावा द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी अन्य महेन्द्र कुमार नाम के उदयपुर निवासी व्यक्ति के मृत्यू पमाण पत्र के आधार पर उसके नाम के आगे उर्फ में अपीलार्थी का नाम माणक चन्द जोड़कर विरासत नामान्तकरण स्वीकार करने किया गया है इसलिए आक्षेपित नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

F. यह है कि आक्षेपित नामान्तरकरण पंजिका में दर्ज रिपोर्ट अनुसार पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी तथाकथित महेन्द्र कुमार के वारिसान का कब्जा नही होने की रिपोर्ट भी दी गयी थी और नामान्तरकरण खारिज करने की अभिषंशा भी भू0अ0नि0 सनृ 2012 में की गयी है, ऐसी परिस्थितियो में विवादित नामान्तरकरण को स्वीकार करने का तहसीलदार नावा का आदेश अपास्त फरमा कर वादविषयक नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है।

G. यह है कि तहसीलदार नांवा द्वारा पूर्व में सक्षम न्यायालय/अधिकारी का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया था इस सम्बन्ध बिना सक्षम न्यायालय/अधिकारी के प्रमाण पत्र के केवल मात्र सांसद के प्रमाणिकरण पर के आधार पर तहसीलदार नावा द्वारा स्वीकार किया गया काबिल खारिज है।

H. यह है कि अपीलार्थी द्वारा यथा समय आपत्ति प्रस्तुत कर देने के बावजुद तहसीलदार नावा द्वारा नामान्तकरण के सम्बन्ध में अपीनलार्थी के पक्ष को सुने बिना ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध दिनांक 17.07.2017 के आदेश के बावजुद बिना हल्का पटवारी की जाचं के केवल मात्र भू0अ0नि0 की रिपोर्ट तुरूत–फुरूत की गयी आक्षेपित नामान्तकरण कार्यवाही अपास्त किये जाने योग्य है।

I. यह है कि नामान्तकरण जैसी समरी कार्यवाही में तहसीलदार को जीवित खातेदार अपीार्थी के सम्बन्ध में की गयी विरासत नामान्तकरण कार्यवाही न्याय साम्य सद्विवेक के विरूद्ध की गयी है।, आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृत करके तहसीलदार नावां ने कानुनी एवं वाकियाती भूल की है अतः आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृति आदेश अपास्त किया जाकर पुनः दिनांक 18.07.2017 से पूर्व की सिथिति में बहाल किये जाने योग्य है।

J. यह हे कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

अतः अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम नावां पटवार म.डल नावां भू अभिलेख निरीक्षक नावां की नामान्तकरण पंजिका में दर्ज प्रविष्ट 1758 दिनांक 18.07.2017 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री मोहम्मद हनीफ ने यह अपील दिनांक 31.7.17 को पेश की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधिवक्तागण श्री विकास ठोलिया,हाकम अली व विक्रम कुड़ी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अपना वकालत नामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2,4,5,6 व 7 के नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा

कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड दिनांक 21.3.18 को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील के बिन्दुओ को दोहराते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.07.17 तहसीलदार नावा ने विधि विरूद्ध भरा है,तथा उपखण्ड अधिकारी नावां में धारा 88 काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट के अधीन लम्बित है, इस प्रकरण में माननीय उपखण्ड अधिकारी नावा द्वारा धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के अधीन प्रस्तुत आदेश संख्या 71/2017 बअनुवान माणकचंद बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 31.7.2017 तक बेचान हस्तानन्तरण एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश किया हुआ था एवं अपीलार्थी द्वारा तहसीदार नांवा के समक्ष दिनांक 7.7. 2017 को प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत कर दी गयी थी इसके बावजुद मातहत तहसीलदार नावा द्वारा नियमित वाद लम्बित होने के नामान्तरण भरा गया है। तहसीलदार को यह नामान्तरण विवादित होने से नामान्तरण भरने का अधिकार नही था। अतः नामान्तकरण को अपास्त किया जावे। रेस्पाडेन्ट के विद्वान वकील ने अपनी बहस में बताया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश दिनांक 07.07.2017 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 12.7.2017 को अपास्त कर दिया गया तथा नामान्तरकरण दिनांक 18.7.17 तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृत किया गया। अतः यह साबित होता है कि तहसीलदार नावां द्वारा भरा गया नामान्तकरण सम्पूर्ण जॉच के बाद भरा गया है, जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नही हुई।

उभय पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। म्युटेशन अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण प्रविष्ट सख्या 1758 दिनांक 18.07.2017 नामान्तकरण पंजिका नावां तहसील नावां के विरूद्ध पेश की है। नामान्तकरण संख्यां 1758 दिनांक 18.7.17 भू0अ0नि0व पटवारी हल्का कि 17.7.17 की रिर्पोट व तहसीलदार नावा की सम्पूर्ण जॉच करने के बाद भरा गया है जिसका साक्ष्य हेतु नामान्तरण की एक प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भरा गया नामान्तरण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सजरा प्रमाण पत्र एवं माननीय सांसद उदयपुर के प्रमाण पत्र

कमांक 677/13 दिनांक 15.6.2013 के अनुसार माणक चन्द व महेन्द्रकुमार एक ही व्यक्ति होना बताया है। अतः पत्रावलीं पर उपलब्ध रिकोर्ड के मुताबिक तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1785 दिनांक 18.7.17 सम्पूर्ण जॉच के बाद भरा गया है, जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं हुई हैं। उक्त नामान्तकरण विधि के सामान्य सिद्धान्तो व कानूनी प्रावधानों के अनुरूप भरा गया है।

:::: आ दे श ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भरा गया नामान्तरण संख्या 1758 दिनांक 18.7.2017 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक. 09.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)